संख्या-891/2018/1555/22-2-2018-17(382)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सूरजमल पुत्र श्री सुक्क्ड निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0बैठक-07-08-2018 दिनांक 06.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सूरजमल पुत्र श्री सुक्क्ड, जो- दुगचाडा, थाना-देवबन्द, जनपद- सहारनपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पानी की मेढ को अपने खेत की ओर काटने से मना करने के विवाद को लेकर दिनांक 07.08.1988 को 05 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठियों से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-703/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34, 325/34, 452 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांक 06.06.1989 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2017 द्वारा आजीवन कारावास को लघुकृत करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.06.2018 तक 02 वर्ष 08 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 01 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सूरजमल (बन्दी संख्या-2043/2017) पुत्र श्री सुक्क्ड निवासी जनपद-सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-891/2018/1555(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in